बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 2

मंगलवार, तिथि 29 फाल्गुन, 1939 (श.)
20 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 04

1.	ऊर्जा विभाग	-	-	01
2.	गन्ना उद्योग विभाग	-	-	01
3.	स्वास्थ्य विभाग	-	-	02
			कुल योग –	04

दलालों पर कार्रवाई

135. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार गोपालपुर निवासी मुनीलाल सिंह को वर्ष जुलाई, 2016 से जुलाई, 2017 का बिजली बिल 5611 रु. के बदले 8 लाख 29 हजार 830 रु. का विपत्र विद्युत विभाग, मोतिहारी द्वारा भेज दिया गया, दूसरा अभिमन्यु कुमार को गलत विपत्र भेज दिया गया है, फिर उपेन्द्र गिरि, रक्सौल को 20961 रु. का विपत्र दिया गया तथा नीचे के कॉलम में 39630 रु. का शुल्क बताते हुए रुपये जमा करने को कहा गया वरना उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी एवं रक्सौल विद्युत विभाग द्वारा हजारों उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल दिया जा रहा है तथा दलालों द्वारा प्रतिशत के आधार पर विपत्र का निबटारा कराया जा रहा है तथा इसके बावजूद जिला उपभोक्ता फोरम तथा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केन्द्रों पर अभी भी हजारों विद्युत उपभोक्ता इनके द्वारा अवैध विपत्र के शिकार हैं एवं परेशान किए जा रहे हैं, सरकार विद्युत विभाग तथा दलालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

136. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को 3 करोड़ 72 लाख 96 हजार 295 रुपये का आवंटन दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना की 3 करोड़ 72 लाख 96 हजार 295 रुपये कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गई, जिससे गन्ना किसान को उक्त योजना से 2015-16 में वंचित रहना पड़ा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है?

ट्रॉमा सेंटर का निर्माण

137. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2008-09 में गया के मगध मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 6 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाना था;

(ख) क्या यह सही है कि ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए वर्ष 2012-13 में एजेंसी (टेलीकॉम कॉर्पोरेशन इंडिया लि.) को काम सौंपा गया, निर्माण शुरू हुआ, लेकिन प्लीन्थ लेवल के बाद काम बंद हो गया;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही से 10 वर्ष बीतने के बावजूद ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर उक्त ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

संसाधन की कमी

138. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सूबे के एन.एम.सी.एच. में मशीन व संसाधनों की कमी के कारण आई.सी.यू. कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, अस्पताल में आठ बेड की मेडिकल, 25 बेड की सर्जिकल और 24 बेड की न्यूनेटन आई.सी.यू. है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आई.सी.यू. में आर्टरि ब्लड बेस एनेलाइजर इकोकार्डियोग्राफी, स्पाइरोमीटर, डिफीलूरेटर, पोर्टेबल एक्सरे, पोर्टेबल ई.सी.जी., ग्लूकोमीटर विथ स्ट्रिप्स के अलावा मल्टीमीटर, मॉनीमीटर व वेंटिलेटर की कमी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अस्पतालों में मशीन एवं संसाधन की कमी से निजात दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 20 मार्च, 2018